छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा द्वादश सत्र अंक-02

रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2017

(श्रावण 11, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. पृच्छा

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्न हेतु श्री अशोक साहू, सदस्य का नाम पुकारा।

श्री कवासी लखमा, सदस्य ने शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जो सदन का सदस्य हो उसके खिलाफ कोई भी आरोपात्मक बात करने के 24 घंटे पहले सूचना देनी पड़ती है।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण काल होता है इसलिए प्रश्नकाल के पश्चात् चर्चा करेंगे तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया यदि मंत्री के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं तो 24 घंटे पहले सूचना देनी होती है। उन्होंने मंत्री के खिलाफ आरोपात्मक शब्द विलोपित किये जाने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि माननीय सदस्य काफी पहले से अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए सदन में प्रश्न लगाते हैं, प्रश्नकाल चलने दें, प्रश्नकाल के बाद इस मामले को रखें।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि माननीय मंत्री जी ने जो बात उठायी कि माननीय मंत्री के उपर कुछ आरोपात्मक उल्लेख है उस पर वे कार्यवाही देखने के बाद निर्णय लेंगे।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से पुन: अनुरोध किया कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है अगर आपको कोई बात उठानी है तो प्रश्नकाल के बाद आपकी बात सुनेंगे।

श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने कथन किया कि प्रश्नकाल नहीं चलने देने का हमारा उद्देश्य नहीं है। कम से कम आसंदी से यह आश्वासन आना चाहिए कि इस विषय पर चर्चा होगी।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि सरकार विपक्ष द्वारा लाये गये एक-एक प्रस्ताव पर पूरी तरह चर्चा करने के लिए तैयार है।

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.12 बजे स्थगित होकर 11.30 बजे पुन: समवेत हुई)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्न हेतु श्री अशोक साहू, सदस्य का नाम पुकारा।

श्री कवासी लखमा, सदस्य ने पुन: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछ लिया जाये कि प्रश्नकाल चलाने में उनका क्या दृष्टिकोण है, वे प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं अथवा नहीं ?

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कथन किया कि आज जो विषय स्थगन के माध्यम से आया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए ?

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि सामान्य तौर पर प्रश्नकाल स्थगित करके कोई प्रस्ताव नहीं आता। कल आपने प्रश्नकाल के बाद बड़ी चर्चा कराई है।

माननीय अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष से आग्रह किया किया कि लगातार दूसरे दिन प्रश्नकाल बाधित हो रहा है। वे प्रश्नकाल को चलने दें।

श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने कथन किया कि प्रश्नकाल चलने देना मेरे बस की बात नहीं है।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि मैं पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यह नारेबाजी का स्थान नहीं है। इस सदन की गरिमा को आपके द्वारा स्थापित

किया गया है और इस सदन की गरिमा के अनुरूप, अगर हम सब मिलकर इसकी गरिमा को बढ़ाने का काम करेंगे, तो जनता में अच्छा संदेश जायेगा। इसलिए मेरा पुन: आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण कार्य के आखिर 39 मिनट निकल गए हैं। यदि एक घंटे बाद उस बात पर चर्चा हो जाती तो मेरे ख्याल से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल को निर्बाध गति से आप सब मिलकर चलने दें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि जैसा नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि प्रश्नकाल चलाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, इसको मैं स्वीकार करता हूं कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की है, लेकिन हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता हैं, उनके सहयोग से ही सदन चलता है। इसलिए पुन: कह रहा हूं कि आप सब इस सदन को चलाने में और आसंदी का सम्मान करते हुए और उनके आग्रह को मानते हुए प्रश्नकाल बाधित न करें।

4. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, खेलसाय सिंह, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, जय सिंह अग्रवाल, दिलीप लहरिया, दलेश्वर साहू, पारसनाथ राजवाड़े, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, मनोज सिंह मंडावी, अरूण वोरा, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री दीपक बैज, शंकर ध्रुवा, (डॉ.) प्रीतम राम, चिंतामणी महाराज, कवासी लखमा, उइके रामदयाल, भोलाराम साहू, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), जनकराम वर्मा, भैयाराम सिन्हा एवं गिरवर जंघेल।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे।

(निलंबित सदस्य गर्भगृह में बैठकर नारे लगाते रहे।)

5. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 11 एवं 13 (कुल 03) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्न संख्या 02 से 10 एवं 12 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री दीपक बैज, उमेश पटेल, चिंतामणि महाराज, श्रीमती देवती कर्मा, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री भूपेश बघेल, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री मनोज सिंह मंडावी एवं श्री संतराम नेताम अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 31 तारांकित एवं 47 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि इस सदन ने अपने स्वयं के द्वारा एक ऐसा नियम बनाया है जो हमारी लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी विधानसभाओं में उल्लेख किया जाता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य यदि बेल में आ जाते हैं और अध्यक्ष के द्वारा अगर इस प्रकार का निर्देश दे दिया जाता है कि चूंकि आप बेल में आ गये हैं और स्वयंमेव निलंबित हो गये हैं, उसके बाद सदस्य बाहर चले जाते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई ये जो रूलिंग है उसका पालन हम सब करें इसलिए मैं पुन: कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों से जिनको कि मैंने कहा है कि वे बेल में आ गये हैं इसलिए निलंबित हो गये हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस सदन की उच्च परंपराओं के पालन के लिए बाहर चले जाएं।

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने-

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-40/2016/32, दिनांक 5 जुलाई, 2017 तथा,

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/2010/32, दिनांक 27 मई, 2017,

(2) भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 8-41/2016/32, दिनांक 26 अप्रैल, 2017 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017, तथा

(3) श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद बी की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 **पटल पर रखे।**

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के निलंबित सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह से बाहर गये।)

(सदन की कार्यवाही 12.06 बजे स्थगित होकर 1.07 बजे पुन: समवेत हुई)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

8.निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य सभा में उपस्थित हुए।)

9. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 1 अगस्त, 2017 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

समिति द्वारा निम्नलिखित वित्तीय, विधायी एवं अन्य कार्य हेतु समय निर्धारित किया गया :-

	वित्तीय कार्य		**समय**
1.	वर्ष 2017-2018 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	-	03 घंटे
	शासकीय विधि विषयक कार्य		
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017	-	30 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017	-	30 मिनट
3.	छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017	-	30 मिनट
4.	छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2017	-	30 मिनट
5.	छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों को सहायता (संशोधन) विधेयक, 2017	-	30 मिनट

6.	छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (संशोधन) विधेयक, 2017	-	30 मिनट
7.	छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017	-	30 मिनट
8.	छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक, 2017	-	30 मिनट

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण पर चर्चा हेतु श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य का नाम पुकारा।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा, जो प्रदेश के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय में न्याय निर्णयन के अंतर्गत हो। यह विषय राजस्व न्यायालय में लंबित है, इस विषय में सदन में चर्चा हो ही नहीं सकती है।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि एक समय में एक ही स्थगन प्रस्ताव होना चाहिए।

10. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय शिवरतन शर्मा जी ने जो न्यायालय की बात कही है, कोई विषय न्यायाधीन है यह राजस्व न्यायालय के संबंध में लागू नहीं होता है। वैसे भी कोई मामला न्यायालय में लंबित हो तब भी विषय के गुण-दोष के आधार पर उस सीमा तक अनुमति दी जा सकती है जो न्यायाधीन निर्णय पर टीका-टिप्पणी न हो।

माननीय मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी ने कहा कि एक ही स्थगन का विषय लिया जा सकता है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में नियम यह है कि एक बैठक में एक विषय लिया जा सकता है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 132 (2) एवं श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने नियम 252 का उल्लेख किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि नियम 132 (2) प्रस्ताव संबंधी नियम है। यह प्रस्ताव नहीं है अपितु स्थगन प्रस्ताव है अत: नियम 132 (2) लागू नहीं होता।

(1.31 से 3.01 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण पर चर्चा हेतु श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य का नाम पुकारा।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि किसी विषय को एक बार उठाया गया हो और माननीय सदस्य अपने ही बनाये नियमों का उल्लंघन कर वेल में आने के कारण निलंबित होने के पश्चात् अवधि समाप्त होने के पश्चात् वह विषय स्वमेव समाप्त हो जाता है।

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि मान. सदस्यों से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव पर सदन में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपनी बातें विस्तार से रखीं और विरोधस्वरूप सभा के गर्भगृह में आकर निलंबित हुये फलस्वरूप विषय स्वमेव समाप्त हो गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, मैं स्थगन प्रस्ताव को सभा में रखने की अनुमति नहीं देता। इस स्थगन प्रस्ताव पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। जब कोई विषय जब सदन में विचार के लिये आता है तभी उस पर चर्चा होती है चूंकि व्यवस्था दी जा चुकी है कि स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया गया है इसलिए अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

12. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा (उपस्थित रहकर भी सूचना नहीं पढ़ी) (सूचना प्रस्तुत नहीं)

(2) श्री टी.एस.सिंहदेव (उपस्थित रहकर भी सूचना नहीं पढ़ी) (सूचना प्रस्तुत नहीं)

13. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की शून्य काल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन
(2) श्री टी.एस.सिंहदेव
(3) श्री सत्यनारायण शर्मा
(4) श्री लालजीत सिंह राठिया
(5) श्री संतराम नेताम

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

14. वर्ष 2017-2018 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017-2018 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए गुरूवार, दिनांक 3 अगस्त, 2016 की तिथि निर्धारित की।

15. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री श्रीचंद सुंदरानी, सभापति ने याचिका समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

16. मंत्री का वक्तव्य

(1) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने दिनांक 6 मार्च, 2017 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्रमांक 862) के उत्तर में संशोधन के संबंध में, तथा

(2) श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने दिनांक 30 मार्च, 2017 को तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 1703) पर हुई चर्चा के दौरान दिये गये मौखिक उत्तर में संशोधन के संबंध में **वक्तव्य दिया।**

(अनुपूरक कार्य सूची जारी की गई)

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 10 सन् 2017)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 10 सन् 2017) पुर:स्थापित किया।

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 11 सन् 2017)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 11 सन् 2017) पुर:स्थापित किया।

3. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017) पुर:स्थापित किया।

4. छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017)

श्रीमती रमशीला साहू, समाज कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017) पुर:स्थापित किया।

5. छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017)

श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017) पुर:स्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017) की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की ।

6. छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 16 सन् 2017)

श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 16 सन् 2017) पुर:स्थापित किया।

अपराह्न 3.22 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 3 अगस्त, 2017 (श्रावण-12, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा